प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
खंडपीठ

कोरम: माननीय श्री न्यायमूर्ति टी.पी. शर्मा एवं
माननीय श्री न्यायमूर्ति आर.एल. झंवर

दांडिक अपील क्रमांक 604 सन् 1993

अपीलार्थी बैसाखू एवं अन्य

(न्यायिक अभिरक्षा में)

विरुद्ध

प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचारार्थ निर्णय

सही/-
(टी.पी. शर्मा)
न्यायाधीश

माननीय श्री आर.एल. झंवर, न्यायाधीश

मैं सहमत हूँ।

सही/-
(आर.एल. झंवर)
न्यायाधीश

निर्णय हेतु नियत तिथि: 26 / 04 / 2010

सही/-
(टी.पी. शर्मा)
न्यायाधीश

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

खंडपीठ

पीठ (कोरम): माननीय श्री टी.पी. शर्मा एवं
माननीय श्री आर.एल. झंवर न्यायाधीशगण

दांडिक अपील क्रमांक 604 1993

अपीलार्थीगण
(न्यायिक अभिरक्षा में)

1. जनक, पिता झांगुल सतनामी,
   आयु 48 वर्ष।
   (विशेष दया पर रिहा)
2. बैसाखू, पिता चरण सतनामी,
   आयु 50 वर्ष।
3. झांगुल, पिता तुलाराम सतनामी,
   आयु 75 वर्ष। *(मृत)*
4. चंद्रकुमार, पिता जनक सतनामी,
   आयु 25 वर्ष।
   (विशेष दया पर रिहा)
5. कर्रा उर्फ़ झुटेल, पिता पंचम सतनामी,
   आयु 30 वर्ष।
   (विशेष दया पर रिहा)
6. गोंदू, पिता दयालदास सतनामी,
   आयु 20 वर्ष।
   (विशेष दया पर रिहा)
7. बिहारी, पिता बैसाखू सतनामी,
   आयु 21 वर्ष।
8. मुकुंदी, पिता झांगुल सतनामी,
   आयु 32 वर्ष।
   (विशेष दया पर रिहा)
9. चंद्रा, पिता बचन सतनामी,
   आयु 35 वर्ष।
10. अमरिका बाई, पत्नी चंद्रा सतनामी,
    आयु 30 वर्ष।

सभी ग्राम कापा के निवासी,
फंदवानी, थाना मुंगेली,
जिला बिलासपुर, म.प्र.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य

<u>दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अधीन दाण्डिक अपील :</u>

उपस्थित :
श्री अभय तिवारी, अपीलकर्ताओं क्रमांक 2, 7, 9 एवं 10 के अधिवक्ता।
श्री प्रवीण दास, उप शासकीय अधिवक्ता, राज्य/ प्रत्यर्थी की ओर से।

निर्णय
(दिनांक 26/04/2010 को पारित)

<u>न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय **माननीय न्यायमूर्ति श्री टी0 पी0 शर्मा** द्वारा पारित किया गया :</u>

1. वर्तमान अपील में, दिनांक 11/06/1993 को 5वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 62/90 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा अपीलकर्ताओं को विधि विरूद्ध जमाव बनाकर घातक हथियारों से सुसज्जित होकर, सामान्य कपिल की हत्या की कोटि में आने वाला मानववध का सामान्य उद्धेश रखते हुए और उस उद्धेश के अग्रसरण में कपिल की हत्या का अपराध किये जाने के लिए दोषी ठहराया गया है तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302,149, 147 व 148 के अंतर्गत क्रमशः आजीवन कारावास, 1 वर्ष का कठोर कारावास, एवं 2 वर्ष का कठोर कारावास दण्डस्वरूप प्रदान किया गया है।
2. दोषसिद्धि को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि विचरण न्यायालय ने बिना किसी ठोस, विश्वसनीय एवं निर्णायक साक्ष्य के उपर्युक्त दोषसिद्धि एवं दण्डादेश पारित कर गंभीर त्रुटि की है।
3. अपील की लंबितावस्था के दौरान अपीलकर्ता क्रमांक 3 का निधन हो गया, अतः उसके संबंध में अपील का अपशमन हो गया ।
4. अपीलकर्ता क्रमांक 1, 4, 5, 6 एवं 8 को विशेष क्षमादान प्रदान कर उन्हें रिहा कर दिया गया है।
5. अतः अपीलकर्ता क्रमांक 2, 7, 9 एवं 10 अर्थात् बैसाखू, बिहारी, चंद्रा एवं अमृका बाई के संबंध में ही अपील विचारार्थ शेष है।
6. अभियोजन का संक्षिप्त कथन यह है कि शिकायतकर्ता एवं अभियुक्त पक्ष के मध्य पुराना वैमनस्य था तथा दोनों के विरुद्ध पूर्व दाण्डिक पृष्ठभूमि विद्यमान थीं। दिनांक 12/08/1989 प्रातः लगभग 8 बजे कपिल (मृतक) अपने मवेशियों को गौठन ले गया था। वापसी के समय जब वह अपीलकर्ताओं के घर के सामने से गुजर रहा था, तब अपीलकर्ता कपिल से उलझ

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पड़े। अभियुक्त चंद्रा एवं अमृका बाई ने कपिल को पकड़ लिया। अपीलकर्ता कर्रा, गोंडू एवं जनक के पास फरसा थी, अपीलकर्ता चंद्र कुमार के पास फरसा थी, अन्य अभियुक्तों के पास लाठी एवं नुकीला भाला (बर्छी) था। उन्होंने कपिल पर प्रहार किया। सर्वप्रथम चंद्र कुमार ने कपिल की छाती पर प्रहार किया, तत्पश्चात अन्य अभियुक्तों ने भी फरसा एवं बर्छी से हमला कर उसे घोर उपहति कारित किया।

मृतक कपिल के पिता आ0सा-7 धर्मू ने थाना जाकर प्रथम सूचना प्रतिवेदन **प्रदर्श**- पी-**37** के रूप में दर्ज कराया। मर्ग **प्रदर्श**- पी **-39** के रूप में पंजीबद्ध की गई। अन्वेषण अधिकारी घटनास्थल हेतु रवाना हुए। गवाहों को **प्रदर्श**- पी **-38** के माध्यम से तालब किया गया। मृतक कपिल के शव का पंचनामा **प्रदर्श-पी -1** के माध्यम से तैयार किया गया। शव को शव परिक्षण हेतु सहायक शल्य चिकित्सक, मुंगेली को **प्रदर्श-पी -31-A** के माध्यम से भेजा गया।

आoसा -3 डॉ. एस.एन. चंदेल ने **प्रदर्श-पी -31** के माध्यम से शव परिक्षण किया, जिसमें निम्न चोटें पाए गए—

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(i) पेराइटल क्षेत्र में 7 से.मी. × 2 से.मी. × अस्थि- की गहराई तक कटा हुवा -घाव, जिसमें अस्थि- भंग पाया गया।

(ii) दाहिने टेम्पोरल क्षेत्र में 6 से.मी. × 6 से.मी. का निलंगू जाइगोमेटिक आर्च का अस्थिभंग।

(iii) दाहिने मैक्सिलरी क्षेत्र में 10 से.मी. × 8 से.मी. का निलंगू, मैक्सिला एवं पैलेटल अस्थिभंग तथा दाहिना इंसाइजर एवं कैनाइन दांत टूटे हुए।

(iv) मैक्सिला पर 5.5 से.मी. × 2 से.मी. × 3 से.मी. का कटा हुवा-घाव, जिसमें अस्थि-भंग पाया गया।

(v) बाएँ कान एवं मास्टॉइड क्षेत्र में 12 से.मी. × 3 से.मी. × अस्थि-की गहराई तक कटा हुआ - घाव, जिसमें कान पूर्णतः कटा हुआ था, मस्तिष्क पदार्थ स्पष्ट दिखाई देता था। बाएँ निचले जबड़े में 3 से.मी. × 2 से.मी. × 4 से.मी. का भेदी घाव।

(vi) ठुड्डी के बाएँ भाग में 5 से.मी. × 3 से.मी. × 3 से.मी. × अस्थि- की गहराई तक फटा हुआ घाव, जिसमें निचले जबड़े की अस्थि तीन टुकड़ों में टूटी पाई गई।

(vii) गर्दन पर 12 से.मी. × 2 से.मी. × 2 से.मी. का एक कटा हुआ-घाव।

(viii) गर्दन के अग्र भाग पर लंबा चीरा-घाव, जिसमें धमनियाँ कटी हुई पाई गईं।

(ix) छाती पर 18 से.मी. × 5 से.मी. × 2 से.मी. का कटा हुआ-घाव।

(x) बाएँ हाथ पर 15 से.मी. × 5 से.मी. × अस्थि- की गहराई तक कटा हुआ-घाव, जिसमें अस्थि-भंज था।

(xi) छाती पर 8 से.मी. × 3 से.मी. का निलंगू। बायाँ हाथ मिट्टी से सना हुआ था। 4वीं सर्वाइकल कशेरुका के नीचे रीढ़-रज्जु कटी हुई पाई गई। मृत्यु का कारण **शॉक** तथा मृत्यु की प्रकृति **मानव वध** थी।

7. अन्वेषण के दौरान, घटनास्थल से रक्तरंजित एवं साधारण मिट्टी को प्रदर्श पी -27 के तहत जब्त किया गया। एक दतारी (हथियार) एवं एक लाठी को प्रदर्श पी -28 के अनुसार घटनास्थल से जब्त किया गया। अभियुक्त चंद्रा को गिरफ्तार कर उससे फरसा एवं लाठी के संबंध में प्रदर्श पी -2 के अंतर्गत प्रकटीकरण कथन लिया गया, जिसे प्रदर्श पी -3 के तहत जब्त किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियुक्त कर्रा को गिरफ्तार कर उससे **फरसा** के संबंध में प्रकटीकरण कथन **प्रदर्श पी -4** के अंतर्गत कथन लिया गया। उक्त फरसा एवं रक्तरंजित लुंगी को अभियुक्त कर्रा से **प्रदर्श पी -15** के अनुसार जब्त किया गया। अभियुक्त मुकुन्दी द्वारा **फरसा** के संबंध में प्रकटीकरण कथन **प्रदर्श पी -5** के अंतर्गत किया गया, जिसे रक्तरंजित लुंगी सहित **प्रदर्श पी -16** के अनुसार जब्त किया गया। अभियुक्त कुंवर द्वारा **बर्छी (भाला)** के संबंध में प्रकटीकरण कथन **प्रदर्श पी -6** के तहत किया गया, जिसे **प्रदर्श पी -17** में जब्त किया गया।

अभियुक्त जनक ने **फरसा** संबंधी प्रकटीकरण कथन **प्रदर्श पी -7** के अंतर्गत किया, जिसे **प्रदर्श पी -13A** के अनुसार जनक से जब्त किया गया। अभियुक्त गोंडू द्वारा **फरसा** संबंधी प्रकटीकरण कथन **प्रदर्श पी -8** के अंतर्गत किया गया, जिसे गमछे सहित **प्रदर्श पी -20** के अनुसार जब्त किया गया। अभियुक्त झंगुल द्वारा **लाठी** का प्रकटीकरण कथन **प्रदर्श पी -9** के अधीन किया गया, जिसे **प्रदर्श पी -22** में जब्त किया गया। अभियुक्त पारस द्वारा **लाठी** का प्रकटीकरण कथन **प्रदर्श पी -10** के अंतर्गत किया गया, जिसे **प्रदर्श पी -23** में जब्त किया गया।

अभियुक्त बैसाखू द्वारा **फरसा** संबंधी कथन **प्रदर्श पी -11** में किया गया, जिसे **प्रदर्श पी -21** के अनुसार जब्त किया गया। अभियुक्त बिहारी द्वारा **लाठी** संबंधी प्रकटीकरण कथन **प्रदर्श पी -12** में

किया गया, जिसे **प्रदर्श पी -24** के तहत जब्त बिहारी से किया गया। अभियुक्त हरि द्वारा **लाठी** संबंधी प्रकटीकरण कथन **प्रदर्श पी -13** में किया गया, जिसे **प्रदर्श पी -25** में जब्त किया गया।

चंद्र कुमार से एक फरसा **प्रदर्श पी -26** के अनुसार जब्त की गई। भगवत बाई से एक तेंदु-लाठी **प्रदर्श पी -29** में जब्त की गई। जब्त सभी वस्तुओं को चिकित्सकीय परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसका विवरण **प्रदर्श पी -33** में है। पटवारी द्वारा स्थल मानचित्र **प्रदर्श पी -36** में तैयार किया गया। मृतक कपिल के सीलबंद कपड़े **प्रदर्श पी -41** में जब्त किए गए। शिव प्रसाद के निवास की तलाशी **प्रदर्श पी -42** में ली गई।

सभी जब्त किए गए वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण हेतु भेजा गया, और **बिहारी के कपड़ों**, **चंद्रा से जब्त फरसा**, तथा **चंद्रा की कमीज एवं लुंगी** पर रक्त की उपस्थिति **प्रदर्श पी -43** के माध्यम से प्रमाणित की गई।

8. गवाहों के कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किए गए। अन्वेषण पूर्ण होने पर आरोप पत्र (चार्जशीट) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुंगेली के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायालय, बिलासपुर को उपारपीत किया। प्रकरण आगे विचारण हेतु अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के न्यायालय को अंतरण पर प्राप्त हुवा ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों के अपराध को सिद्ध करने हेतु अभियोजन पक्ष ने कुल 12 गवाहों का परीक्षण किया। अभियुक्तगण के कथन संहिता की धारा 313 के अंतर्गत लिए गए, जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध परिस्थितियों का खंडन किया तथा निर्दोषता एवं झूठी फँसाए जाने का दावा किया।

बचाव पक्ष ने साक्ष्य के रूप में ब.सा -1 भीखम चंद्र, ब.सा -2 भानु, ब.सा -3 भगवान दास तथा ब.सा -4 राजबहोर तिवारी, आरक्षक का प्रति परीक्षण किया। ब.सा -1 भीखम चंद्र के अनुसार अभियुक्त शिव प्रसाद घटना-स्थल पर उपस्थित नहीं था, वह ग्राम पातरगढ़वा में था। ब.सा -3 भगवान दास के अनुसार देवकी बाई की मृत्यु 12/08/89 को हुई थी और अभियुक्त शिव प्रसाद मरघट में उपस्थित था। ब.सा -4 राजबहोर तिवारी ने यह कहा कि रोजनामा संख्या 515 में अपराध क्रमांक 197/89 में दुलार सतनामी, अम्बिका बाई, कर्रा सतनामी, जनक, गोंडू, बिहारी, हरि, झंगुल तथा मुकुन्दी के नाम दर्ज हैं।

10. दोनों पक्षों को सुनने का अवसर प्रदान करने के उपरांत, माननीय 5वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर ने अपीलकर्ताओं को उपर्युक्त अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया तथा दण्डित किया।

11. अपीलकर्ता क्रमांक 2, 7, 9 एवं 10 के अधिवक्ता श्री अभय तिवारी तथा राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से उप शासकीय अभिभाषक श्री प्रवीण दास को सुना गया। आक्षेपित आदेश निर्णय तथा अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख अवलोकन किया गया।

12. अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दोषसिद्धि कथित चक्षुदर्शी आ.सा -7 धर्मू (मृतक के पिता), आ.सा -8 भगवत बाई (मृतक की बहन), आ.सा -9 बाबूलाल (जीजा), आ.सा -10 हरि प्रसाद तथा आ.सा -11 राजनु के साक्ष्य पर आधारित है, परन्तु उनका साक्ष्य अप्राकृतिक है। उन्होंने दावा किया कि घटना अपीलकर्ताओं के घर के सामने हुई और ये गवाह वहाँ उपस्थित होकर घटना देखने की बात कहते हैं, किंतु उन्होंने मृतक कपिल को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया इससे सिद्ध होता है कि उन्होंने घटना नहीं देखी और अपीलकर्ताओं को झूठा फँसाया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सभी अपीलकर्ता एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा पूर्व वैमनस्य के कारण उन्हें झूठा अभियुक्त बनाया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि घटना-स्थल पर कौन-कौन उपस्थित था और कौन नहीं। दतारी (हथियार) को घटनास्थल से **प्रदर्श पी -28** के माध्यम से जब्त किया गया, किंतु गवाहों ने नहीं बताया कि दतारी किसके हाथ में थी अथवा किसने उसे घटना-स्थल पर फेंका। प्रायः जब किसी मृत व्यक्ति के संबंधी वास्तविक अपराधी को बचाना चाहते हैं तो वे निर्दोष को फँसाते हैं, किंतु वैमनस्य की स्थिति में वे दोषसिद्धि सुनिश्चित करने हेतु निर्दोष लोगों को भी झूठा फँसा देते हैं।

13. अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने *रोशन एवं अन्य विरूद्ध राज्य महाराष्ट्र*[1] के प्रकरण पर भरोसा किया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि अपीलकर्ता अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के निकट संबंधी होने के कारण तथा पक्षकारों के मध्य स्वीकृत शत्रुता के परिप्रेक्ष्य में, उन्हें इस प्रकरण में झूठा फँसाया जाना संभव था।
14. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी /राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुए प्रस्तुत किया कि वर्तमान प्रकरण में दोषसिद्धि चक्षुदर्शी साक्षियों के साक्ष्य पर आधारित है, जिन्होंने घटना को अपनी आँखों से देखा। यह अत्यंत नृशंस हत्या का मामला है, जिसमें गर्दन काटी गई, सिर एवं वक्षस्थल पर घातक चोटें आईं; तथा सभी अपीलकर्ता घातक हथियारों से सुसज्जित थे। इन परिस्थितियों में साक्षियों के लिए घटना में हस्तक्षेप करना तथा अपने जीवन

[1] AIR 1977 SC 672= 1977 CRI.L.J,259

को जोखिम में डाले बिना मृतक कपिल को बचाना संभव नहीं था; अतः चक्षुदर्शी मृतक कपिल के जीवन की रक्षा करने की स्थिति में नहीं थे, जिसे अपीलकर्ताओं द्वारा निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई।

15. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य इस निष्कर्ष को आहरित करने के लिए पर्याप्त हैं कि सभी अपीलकर्ताओं ने विधि विरूद्ध जमाव का गठन किया था। वे घातक हथियारों से सुसज्जित थे और मृतक कपिल की हत्या करने के आशय से, जो कि हत्या के की कोटि में आने वाला आपराधिक मानव वध है, विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में, जमाव के सदस्यों द्वारा कपिल की हत्या की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने उपर्युक्तानुसार अपीलकर्ताओं को विधिवत् दोषसिद्ध ठहराते हुए दंडित किया है।

16. पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्कों के विवेचन हेतु, हमने अभिलेख पर उपलब्ध समस्त सामग्री का परीक्षण किया। वर्तमान प्रकरण में मृतक कपिल की मृत्यु पूर्व-घटित घातक चोटों के परिणामस्वरूप हुई हत्या प्रकृति की होने का तथ्य अपीलकर्ताओं की ओर से सारतः विवादित नहीं किया गया है; अपितु आ.सा 3 डॉ. एस. एन. चंदेल के साक्ष्य तथा शव-परीक्षा प्रतिवेदन, प्रदर्श पी -30, से भी यह स्थापित होता है कि मृतक के शरीर पर घातक चोटें पाई गईं और मृत्यु मानव वध प्रकृति की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. अपराध में अपीलकर्ताओं की संलिप्तता के संबंध में, दोषसिद्धि मुख्यतः आ.सा 7 धर्मू—मृतक के पिता, आ.सा 8 भगवत बाई—मृतक की बहन, आ.सा 9 बाबूलाल—मृतक के बहनोई, आ.सा 10 हरि प्रसाद एवं आ.सा 11 राजनू के साक्ष्यों पर आधारित है, जिन्होंने अपने-अपने कथनों में यह अभिकथित किया है कि उन्होंने घटना को देखा तथा अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा उपर्युक्त अपराध कारित किया गया।

18. आ.सा 7 धर्मू, जो मृतक कपिल के पिता हैं, ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि जब मृतक कपिल गोठान से, जहाँ मवेशी एकत्र किए गए थे, अपने घर वापस आ रहा था और अपीलकर्ताओं के घर के सामने से गुजर रहा था, तब अभियुक्त अमरिका बाई उसे गाली-गलौज कर रही थी। तब कपिल ने उससे कहा कि वह गाली क्यों दे रही है, जिस पर अमरिका बाई ने कहा कि वह उसके पैर छू रही है और उसकी कमर पकड़ ली। उसी समय अन्य अभियुक्त चन्द्रा अपने घर के अंदर से बाहर आया, जिसके हाथ में लाठी थी, और उसने कपिल के सिर पर लाठी से प्रहार किया। अभियुक्त कर्रा फरसा लेकर आया और उसने कपिल की गर्दन पर फरसे से वार किया। मुकुन्दी ने भी फरसे से प्रहार किया। गोंडू ने फरसा से उस पर हमला किया। पुनः चन्द्रा अपने घर के अंदर गया, फरसा लेकर आया और कपिल के सीने तथा शरीर के अन्य भागों पर फरसा से वार किया। शिव ने कपिल के सिर के पीछे की ओर

फरसे से प्रहार किया। कुंवर नुकीला भाला लेकर आया। हरि, झंगुर एवं अन्य व्यक्ति लाठी लेकर आए और उन्होंने नुकीले भाले एवं लाठी से हमला किया। जब उसने बीच-बचाव करने का प्रयास किया, तो उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दी। परस ने भी कपिल पर प्रहार किया। तत्पश्चात् सभी अपीलकर्ता घटनास्थल से भाग गए। वह कपिल के पास गया, उसके बाद वह थाना गया और रिपोर्ट दर्ज कराई।

19. आ.सा 8 भगवत बाई ने आ.सा 7 धर्मू के साक्ष्य का पर्याप्त रूप से समर्थन किया है तथा यह अभिकथित किया है कि अमरिका बाई, चन्द्रा, कर्रा, मुकुन्दी, परस, गोंडू, जनक, बिहारी एवं बैसाखू ने फरसा एवं लाठी से कपिल पर हमला किया। आ.सा 9 बाबूलाल ने भी आ.सा 7 धर्मू के साक्ष्य का समर्थन किया है और अपने कथन में बताया है कि अमरिका बाई, चन्द्रा, कर्रा, गोंडू, जनक, चन्द्रकुमार, झंगुल, परस एवं बैसाखू ने फरसे एवं लाठी से कपिल पर हमला किया, किंतु अभियुक्त हरि, शिव एवं कुंवर वहाँ उपस्थित नहीं थे।

उसने यह भी कथन किया है कि कपिल पर हमला करने के पश्चात् अभियुक्तगण घटनास्थल से भाग गए, तत्पश्चात् ग्रामवासी एकत्र हो गए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. आ.सा 10 हरि प्रसाद ने भी आ.सा 7 धर्मू के साक्ष्य का समर्थन किया है और यह कथन किया है कि चन्द्रा, अमरिका बाई, कर्रा, जनक, मुकुन्दी, झंगुल, चन्द्रकुमार, हरि, कुंवर, बिहारी, बैसाखू, शिव एवं गोंडू—कुल 14 व्यक्तियों—ने लाठी एवं फरसे से कपिल पर हमला किया। आ.सा 11 राजनू ने भी आ.सा 7 धर्मू के साक्ष्य का समर्थन करते हुए यह कथन किया है कि चन्द्रा, जनक, गोंडू, कर्रा, कुंवर, शिव, हरि, झंगुल, बैसाखू, अमरिका बाई, चन्द्रा, बिहारी एवं परस ने फरसे एवं लाठी से कपिल पर हमला किया। सभी साक्षी मृतक कपिल के संबंधी हैं तथा दोनों पक्षों के मध्य वैमनस्य था।

21. प्रतिरक्षा पक्ष ने इन साक्षियों का विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया है। उनके साक्ष्यों तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज पुलिस कथनों, प्रदर्श D-2, D-3, D-4, D-5 एवं D-6, में कुछ विरोधाभास एवं लोप पाई गई है। यद्यपि ये साक्षी संबंधी साक्षी हैं, तथापि केवल इस आधार पर कि वे मृतक के संबंधी हैं, उनके साक्ष्य को व्यक्त नहीं किया जा सकता। न्यायालय का दायित्व है कि वह उनके साक्ष्य का अत्यधिक सावधानी एवं सतर्कता के साथ परीक्षण करे।

22. इसी प्रश्न पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **अशोक कुमार चौधरी एवं अन्य विरुद्ध राज्य बिहार**[2] के प्रकरण में निम्नलिखित रूप से निर्णय दिया है:—

[2] 2008 AIR SCW 3739

"……यह कहना सार्वत्रिक रूप से लागू होने वाला नियम निर्धारित करना त्रुटिपूर्ण होगा कि केवल सार्वजनिक गवाह की जाँच न किए जाने मात्र से अभियोजन के विरुद्ध प्रतिकूल अनुमान स्वतः उत्पन्न हो जाता है, अथवा यह कि पीड़ित के संबंधी का साक्ष्य, जो अन्यथा विश्वसनीय है, सार्वजनिक गवाहों द्वारा पुष्ट न होने तक उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जहाँ तक पीड़ित के संबंधियों के साक्ष्य की विश्वसनीयता का प्रश्न है, यह विधि द्वारा सुव्यवस्थित है कि न्यायालय को ऐसे साक्ष्य का अधिक सावधानी एवं सतर्कता से परीक्षण करना चाहिए, तथापि केवल अभियोजन में उनकी रुचि के आधार पर ऐसे साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। मात्र संबंध होना किसी गवाह की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करता। केवल इस कारण कि कोई गवाह अपराध के पीड़ित का संबंधी है, उसे 'हितबद्ध' गवाह नहीं कहा जा सकता। 'हितबद्ध' शब्द का तात्पर्य यह है कि संबंधित व्यक्ति का अभियुक्त को किसी न किसी प्रकार से दोषसिद्ध कराए जाने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित हो, चाहे वह अभियुक्त के प्रति किसी शत्रुता के कारण हो या किसी अन्य परोक्ष उद्देश्य से।"

23. जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **दलीप सिंह एवं अन्य विरुद्ध राज्य पंजाब** [3]तथा **अशोक कुमार चौधरी एवं अन्य विरुद्ध राज्य बिहार (पूर्वोक्त)** के प्रकरणों में प्रतिपादित किया है, संबंधी गवाह वे व्यक्ति होते हैं जो सामान्यतः वास्तविक अपराधी को बचाने और किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठा फँसाने के प्रति अनिच्छुक होते हैं; तथापि शत्रुता की स्थिति में निकट संबंधियों में तथ्यों को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करने अथवा ऐसे तथ्य जोड़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जो उन्हें वास्तव में बताए ही नहीं गए हों, ताकि अभियुक्तों को फँसाया जा सके और उनकी दोषसिद्धि सुनिश्चित की जा सके। उक्त प्रश्न पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शरद बिर्धीचंद सरदा विरुद्ध राज्य महाराष्ट्र**[4] के प्रकरण में यह प्रतिपादित किया है कि पीड़ित के निकट संबंधियों में तथ्यों को बढ़ा-चढ़ाकर या जोड़ने की प्रवृत्ति हो सकती है; अतः न्यायालय को उनके साक्ष्य का अत्यधिक सावधानी एवं सतर्कता के साथ परीक्षण करना चाहिए। उपर्युक्त प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का कंडिका 48 इस प्रकार है:—

> "**48.** गवाहों के साक्ष्य पर चर्चा करने से पूर्व, हम कुछ प्रारंभिक टिप्पणियाँ करना उचित समझते हैं, जिनकी पृष्ठभूमि में मौखिक कथनों का मूल्यांकन किया जाना है। वे सभी व्यक्ति, जिन्हें मंजू द्वारा अंतिम बार बीड आने पर मौखिक कथन किए जाने का कहा गया है, मृतका के निकट संबंधी एवं मित्र हैं। निकट संबंध एवं स्नेह के कारण, ऐसे

[3] AIR 1953 SC 364
[4] AIR 1984 SC 1622

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किसी भी गवाह में स्वाभाविक रूप से तथ्यों को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करने अथवा ऐसे तथ्य जोड़ने की प्रवृत्ति हो सकती है, जो उन्हें वास्तव में बताए ही नहीं गए हों। यह आवश्यक नहीं कि यह कार्य जानबूझकर किया जाए; बल्कि मृतका के प्रति प्रेम एवं स्नेह अवचेतन रूप से कथित हत्यारे के प्रति मनोवैज्ञानिक घृणा उत्पन्न कर देता है। इसलिए, न्यायालय को ऐसे साक्ष्य का अत्यंत सावधानी एवं सतर्कता से परीक्षण करना चाहिए। भले ही गवाह आंशिक रूप से या पूर्णतः सत्य बोल रहे हों, तथापि अभियुक्त के प्रति प्रतिशोध या प्रतिकार की भावना उन्हें मार्गदर्शित कर सकती है और इस प्रक्रिया में कुछ ऐसे तथ्य, जो कहे ही नहीं गए हों या कहे नहीं जा सकते थे, उन्हें अवचेतन रूप से कहा हुआ मान लिया जा सकता है, ताकि अपराधी को दण्डित होते हुए देखा जा सके। यह मानवीय मनोविज्ञान है और इससे कोई बच नहीं सकता।"

उपर्युक्त प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार, न्यायालय पर यह दायित्व है कि वह **संबंधी गवाह**, **घायल गवाह** तथा **हितबद्ध गवाह** के साक्ष्य का अत्यधिक सावधानी एवं सतर्कता के साथ विश्लेषण करे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. इन अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि मुख्यतः इस आधार पर की गई है कि सभी अपीलकर्ताओं ने एक **विधि विरूद्ध जमाव** का गठन किया, वे **घातक हथियारों** से सुसज्जित थे तथा उनका **सामान्य उद्देश्य** कपिल की हत्या करना था; और चूँकि जमाव के सभी सदस्यों ने कपिल की हत्या की, अतः भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 149** के सहारे सभी अपीलकर्ता कपिल की हत्या के अपराध के लिए उत्तरदायी हैं।

25. विधि विरूद्ध जमाव का गठन एक **तथ्यात्मक प्रश्न** है और अभियोजन पर यह दायित्व है कि वह विधि विरूद्ध जमाव के गठन तथा उसके **सामान्य उद्देश्य** को सिद्ध करे। विधि विरूद्ध जमाव किसी भी समय गठित हो सकता है और कोई व्यक्ति किसी भी समय यहाँ तक कि चोट पहुँचाने के समय भी विधि विरूद्ध जमाव में सम्मिलित हो सकता है; परंतु अभियोजन को यह तथ्य **ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य** प्रस्तुत कर सिद्ध करना होगा कि संबंधित व्यक्तियों ने विधि विरूद्ध जमाव का गठन किया था या वे ऐसे जमाव में सम्मिलित हुए थे, तथा उक्त जमाव का सामान्य उद्देश्य उपर्युक्त अपराध का कारित किया जाना था। मात्र किसी व्यक्ति की **अजनबी के रूप में उपस्थिति**, **राहगीर होना**, अथवा **झगड़ा या घटना देखने के लिए घटनास्थल पर एकत्र होना**, उसे न तो विधि विरूद्ध जमावके गठन का दोषी ठहराता है और न ही अपराध के कारित होने के लिए उत्तरदायी बनाता है।

26. विधि विरूद्ध जमाव के गठन के प्रश्न पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **चंद्र बिहारी गौतम एवं अन्य विरुद्ध राज्य बिहार**[5] के प्रकरण में यह प्रतिपादित किया है कि विधि विरूद्ध जमावकिसी भी क्षण गठित हो सकता है, यहाँ तक कि अभियुक्तों के एकत्र होने के बाद भी; तथापि विधि विरूद्ध जमावके **सामान्य उद्देश्य** के अस्तित्व का निर्धारण प्रत्येक प्रकरण के **तथ्यों एवं परिस्थितियों** के आधार पर किया जाना आवश्यक है।

उक्त निर्णय का **कंडिका 6** इस प्रकार है:—

> "**6.** वैकल्पिक रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि यदि यह भी मान लिया जाए कि घटना अभियोजन द्वारा कथित ढंग से घटित हुई तथा अभियुक्तगण घटनास्थल पर उपस्थित पाए गए, तब भी उन्हें दोषसिद्ध एवं दण्डित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभियोजन कथित रूप से अभियुक्तों की भूमिका स्थापित करने में असफल रहा है। भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 149** दाण्डिक विधि में एक अपवाद है, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को उसकी **प्रतिनिधि दायित्व** के आधार पर केवल इस तथ्य के प्रमाण से दोषसिद्ध एवं दण्डित किया जा सकता है कि वह विधि विरूद्ध जमावका सदस्य था तथा उसके **सामान्य उद्देश्य** में सहभागी था, भले ही उसने वास्तव में अपराध के कारित होने में भाग लिया हो या नहीं। सामान्य उद्देश्य के लिए पूर्व योजना या आक्रमण से पूर्व समान मानसिक अभिप्राय का होना आवश्यक नहीं है। अभियुक्तों के एकत्र होने के पश्चात भी कोई अवैध उद्देश्य विकसित हो सकता है। विधि विरूद्ध जमावके सामान्य उद्देश्य का अस्तित्व प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। यह सत्य है कि अभियुक्त की मात्र उपस्थिति उसे सामान्य उद्देश्य में सहभागी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अभियोजन को यह भी सिद्ध करना होता है कि वे मात्र दर्शक नहीं थे, बल्कि वास्तव में सामान्य उद्देश्य में सहभागी थे। जब बड़ी संख्या में व्यक्तियों द्वारा समन्वित आक्रमण किया जाता है, तब प्रत्येक अभियुक्त की वास्तविक भूमिका निर्धारित करना प्रायः कठिन होता है; परन्तु केवल इसी आधार पर विधि विरूद्ध जमावका सिद्ध सदस्य उस कृत्य के परिणामों से नहीं बच सकता, जो सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में या ऐसे अपराध के रूप में किया गया हो, जिसके किए जाने की संभावना सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में ज्ञात थी। अचानक हुए झगड़े में सामान्य उद्देश्य का अभाव हो सकता है, किंतु पीड़ित पर योजनाबद्ध आक्रमण की स्थिति में, विधि विरूद्ध जमावका गठन करने वाले व्यक्तियों के मध्य सामान्य उद्देश्य के अस्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[5] JT 2002(4) 62

27. इसी प्रश्न पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पांडुरंग चंद्रकांत म्हात्रे विरुद्ध राज्य महाराष्ट्र**[6] के प्रकरण में यह निर्णय दिया है कि विधि विरूद्ध जमाव के प्रत्येक सदस्य का **आक्रमण से पूर्व तथा आक्रमण के समय का आचरण** एक सुसंगत विचारणीय तत्व है। विधि विरूद्ध जमाव का उद्देश्य एक **तथ्यात्मक प्रश्न** है, जिसका निर्धारण जमाव की प्रकृति, सदस्यों द्वारा धारण किए गए हथियारों, तथा घटना-स्थल पर अथवा उसके समीप सदस्यों के व्यवहार को दृष्टिगत रखते हुए किया जाना चाहिए। मात्र घटनास्थल पर उपस्थित होना किसी व्यक्ति को भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 149** के सहारे अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं बनाता।

28. इसी प्रश्न पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मसालती विरुद्ध राज्य उत्तर प्रदेश**[7] के प्रकरण में कंडिका 17 में निम्नलिखित रूप से प्रतिपादित किया है:—

> "**17.** …जिस व्यक्ति के विरुद्ध यह आरोप है कि वह विधि विरूद्ध जमाव का सदस्य था, उसके संबंध में यह सिद्ध किया जाना आवश्यक है कि वह उन व्यक्तियों में से एक था जिन्होंने उक्त जमाव का गठन किया तथा उसने जमाव के अन्य सदस्यों के साथ भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 141** में परिभाषित सामान्य उद्देश्य को अपनाया एवं धारण किया। धारा **142** यह प्रावधान करती है कि जो कोई व्यक्ति ऐसे तथ्यों से अवगत होते हुए, जिनके कारण कोई जमाव विधि विरूद्ध जमाव बन जाता है, जानबूझकर उस जमाव में सम्मिलित होता है अथवा उसमें बना रहता है, वह विधि विरूद्ध जमाव का सदस्य कहा जाएगा। दूसरे शब्दों में, पाँच या अधिक व्यक्तियों का ऐसा जमाव, जो धारा 141 की पाँच धाराओं में उल्लिखित सामान्य उद्देश्यों में से एक या अधिक से प्रेरित होकर कार्य करता है, विधि विरूद्ध जमाव होता है। ऐसे प्रकरण में निर्णायक प्रश्न यह होता है कि क्या उक्त जमाव पाँच या अधिक व्यक्तियों का था तथा क्या उन व्यक्तियों ने धारा 141 में विनिर्दिष्ट सामान्य उद्देश्यों में से किसी एक या अधिक को अपनाया था। इस प्रश्न के निर्धारण में यह विचार करना भी प्रासंगिक हो जाता है कि क्या उस जमाव में कुछ ऐसे व्यक्ति भी सम्मिलित थे, जो मात्र निष्क्रिय दर्शक थे और जिन्होंने केवल औपचारिक जिज्ञासा के कारण, बिना जमाव के सामान्य उद्देश्य को अपनाने के अभिप्राय के, उस जमाव में सहभागिता की थी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. उसी प्रश्न पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शेरी एवं अन्य विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य**[8] के प्रकरण में कंडिका 4 में निम्नलिखित रूप से प्रतिपादित किया है:–

---

[6] (2009) 10 SCC 773
[7] AIR 1965 SC 202
[8] 1991 Supp (2) SCC 437

"**4.** …… किन्तु जब बड़ी संख्या में व्यक्तियों के विरुद्ध सामान्य आरोप लगाए जाते हैं, तो न्यायालय स्वाभाविक रूप से ऐसे अस्पष्ट साक्ष्य के आधार पर उन सभी को दोषसिद्ध करने में संकोच करता है। अतः हमें कोई ऐसा युक्तिसंगत परिस्थितिजन्य तथ्य खोजने की आवश्यकता होती है, जो आश्वस्ति प्रदान करे। इस दृष्टिकोण से केवल उपर्युक्त नौ अभियुक्तों को दोषसिद्ध करना ही सुरक्षित है, जिनकी उपस्थिति न केवल प्राथमिकी के स्तर से निरन्तर उल्लिखित है, अपितु जिनके विरुद्ध विशिष्ट प्रत्यक्ष कृत्य भी आरोपित किए गए हैं……।"

30. विधि विरूद्ध जमावके सदस्य द्वारा प्रत्यक्ष कृत्य अथवा सक्रिय सहभागिता की आवश्यकता के प्रश्न पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **लालजी एवं अन्य विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य** [9]के प्रकरण में यह प्रतिपादित किया है कि एक बार विधि विरूद्ध जमाव का गठन सिद्ध हो जाने पर, विधि विरूद्ध जमाव के किसी भी सदस्य द्वारा किसी प्रत्यक्ष कृत्य या सक्रिय सहभागिता का किया जाना आवश्यक नहीं है तथा सामान्य उद्देश्य को सम्पन्न करने हेतु, जिसमें युक्तिसंगत रूप से हिंसा की आशंका निहित हो, पाँच या अधिक व्यक्तियों का मात्र एकत्र होना ही, बिना किसी प्रत्यक्ष कृत्य के भी, अपराध के गठन हेतु पर्याप्त है। उक्त निर्णय के कंडिका 8 एवं 9 इस प्रकार हैं:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"**8.** भारतीय दण्ड संहिता की धारा 149 यह उपबन्ध करती है कि यदि किसी विधि विरूद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में कोई अपराध किया जाता है, अथवा ऐसा अपराध किया जाता है, जिसे उस जमाव के सदस्य सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में किए जाने की सम्भावना से युक्त जानते थे, तो उस अपराध के किए जाने के समय उस जमाव का प्रत्येक सदस्य उस अपराध का दोषी होगा। जैसा कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 141 में परिभाषित किया गया है, पाँच या अधिक व्यक्तियों का ऐसा जमाव, यदि उस जमाव को गठित करने वाले व्यक्तियों का सामान्य उद्देश्य उस धारा के खण्ड 'प्रथम', 'द्वितीय', 'तृतीय', 'चतुर्थ' तथा 'पंचम' में वर्णित किसी कार्य को करना हो, तो वह 'विधि विरूद्ध जमाव' कहलाता है। उक्त धारा के स्पष्टीकरण के अनुसार, ऐसा जमाव जो अपने एकत्र होने के समय अवैध नहीं था, बाद में विधि विरूद्ध जमावबन सकता है। जो कोई भी ऐसे तथ्यों से अवगत होते हुए, जिनसे कोई जमाव विधि विरूद्ध जमावबन जाता है, जानबूझकर उस जमाव में सम्मिलित होता है अथवा उसमें बना रहता है, वह विधि विरूद्ध जमाव का सदस्य कहा जाएगा। अतः जब भी पाँच या अधिक व्यक्ति एक-दूसरे का समर्थन करने के लिए, यहाँ तक कि विरोध के विरुद्ध भी, ऐसे सामान्य उद्देश्य को पूरा करने हेतु एकत्र होते हैं,

[9] (1989) 1 SCC 437

जिसमें हिंसा सम्मिलित होने की सम्भावना हो या जिससे विवेकशील एवं दृढ़चित्त व्यक्तियों के मन में हिंसा की युक्तिसंगत आशंका उत्पन्न हो, तब भले ही वे अंततः अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में कुछ भी किए बिना अलग हो जाएँ, उनका मात्र इस प्रकार एकत्र होना ही अपराध के गठन के लिए पर्याप्त होगा। निश्चय ही, आशंका ऐसी नहीं होनी चाहिए जो किसी मूर्ख या कायर व्यक्ति को भयभीत कर दे, बल्कि ऐसी होनी चाहिए जो सामान्य दृढ़ता और साहस वाले व्यक्तियों को भी आशंकित कर दे। इस धारा के दो आवश्यक तत्व हैं— (i) विधि विरूद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा अपराध का किया जाना, तथा (ii) ऐसा अपराध उस जमाव के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में किया गया हो अथवा ऐसा हो जिसे उस जमाव के सदस्य सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में किए जाने की सम्भावना से युक्त जानते थे। प्रत्येक व्यक्ति आवश्यक रूप से दोषी नहीं होता, बल्कि केवल वही दोषी होते हैं जो उस सामान्य उद्देश्य में सहभागी होते हैं। विधि विरूद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य धारा 141 भारतीय दण्ड संहिता में उल्लिखित पाँच उद्देश्यों में से कोई एक होना चाहिए। विधि विरूद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य जमाव की प्रकृति, उनके द्वारा प्रयुक्त शस्त्रों तथा घटना-स्थल पर या उससे पूर्व जमाव के आचरण से ज्ञात किया जा सकता है। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों से निकाला जाने वाला निष्कर्ष होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. धारा 149 अपराध के किए जाने के समय विधि विरूद्ध जमाव के प्रत्येक सदस्य को उस अपराध का दोषी ठहराती है। इस प्रकार, यह धारा एक विशिष्ट एवं पृथक अपराध का सृजन करती है। अन्य शब्दों में, यह विधि विरूद्ध जमावके सदस्यों पर, उस जमाव के किसी अन्य सदस्य द्वारा सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में किए गए अवैध कृत्यों के लिए संरचनात्मक अथवा प्रतिनिधिक दायित्व आरोपित करती है। तथापि, विधि विरूद्ध जमाव के सदस्यों का यह परोक्ष दायित्व केवल उन्हीं कृत्यों तक सीमित है जो विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में किए गए हों, अथवा ऐसे अपराधों तक, जिन्हें जमाव के सदस्य सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में किए जाने की सम्भावना से युक्त जानते थे। एक बार जब किसी व्यक्ति का मामला इस धारा के अंतर्गत आ जाता है, तो यह प्रश्न कि उसने अपने हाथों से कुछ नहीं किया, अप्रासंगिक हो जाता है। वह यह प्रतिरक्षा प्रस्तुत नहीं कर सकता कि उसने अपने हाथों से वह अपराध नहीं किया जो विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में किया गया हो अथवा ऐसा हो जिसे जमाव के सदस्य सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में किए जाने की सम्भावना से युक्त जानते थे। प्रत्येक व्यक्ति को उन कृत्यों के संयुक्त प्रभाव के संभावित एवं स्वाभाविक

परिणामों को अभिप्रेत माना जाएगा, जिनमें वह सम्मिलित हुआ। यह आवश्यक नहीं है कि विधि विरूद्ध जमाव का गठन करने वाले सभी व्यक्तियों द्वारा कोई प्रत्यक्ष कृत्य किया जाए। जब अभियुक्तगण लाठियों से सशस्त्र होकर एकत्र हुए और प्रार्थी पक्ष पर आक्रमण में सहभागी बने, तब अभियोजन के लिए यह सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि किस अभियुक्त द्वारा कौन-सा विशिष्ट प्रत्यक्ष कृत्य किया गया। यह धारा विधि विरूद्ध जमाव के प्रत्येक सदस्य को, मात्र उसके उस जमाव का सदस्य होने के कारण, प्रत्येक के तथा सभी के कृत्यों के लिए प्रधान के रूप में उत्तरदायी बनाती है। यद्यपि प्रत्यक्ष कृत्य एवं सक्रिय सहभागिता अपराध करने वाले व्यक्ति की सामान्य मंशा का संकेत दे सकती है, तथापि विधि विरूद्ध जमाव में मात्र उपस्थिति ही धारा 149 के अधीन परोक्ष दाण्डिक दायित्व आरोपित करने के लिए पर्याप्त हो सकती है। यह विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि धारा 149 के अंतर्गत संरचनात्मक दोष का आधार केवल विधि विरूद्ध जमाव की सदस्यता है, अपेक्षित सामान्य उद्देश्य अथवा ज्ञान के साथ।"

31. विधि विरूद्ध जमाव की मंशा/सामान्य उद्देश्य के प्रश्न पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **उत्तर प्रदेश राज्य विरुद्ध दान सिंह एवं अन्य**[10]के प्रकरण में यह प्रतिपादित किया है कि आक्रमणकारी दल के सदस्यों की मंशा उनके द्वारा पहुँचाई गई चोटों की संख्या एवं प्रकृति तथा उनके द्वारा प्रयुक्त हथियारों से ज्ञात की जा सकती है। जो जमाव प्रारम्भ में विधिसम्मत होता है, वह बाद में अवैध भी हो सकता है। उक्त निर्णय के कंडिका 30 एवं 31 इस प्रकार हैं:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"30. उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा पाए गए हैं, आइए यह परीक्षण करें कि क्या कोई विधि विरूद्ध जमाव अस्तित्व में था और उसका सामान्य उद्देश्य क्या था। यह सम्भव है कि 'डोली' रोके जाने के समय कोई विधि विरूद्ध जमाव अस्तित्व में न रहा हो। तथापि, समस्त चक्षुदर्शी साक्षियों के साक्ष्य के अनुसार, वहाँ बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए थे और उनके पास लाठियाँ एवं डंडे थे। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 141 के स्पष्टीकरण के अनुसार, जो जमाव अपने एकत्र होने के समय अवैध नहीं होता, वह बाद में विधि विरूद्ध जमाव बन सकता है। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा **लालजी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य** ((1989) 1 SCC 437 : 1989 SCC (Cri) 211) में अवलोकित किया गया है कि 'विधि विरूद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य जमाव की प्रकृति, उनके द्वारा प्रयुक्त हथियारों तथा घटना-स्थल पर या उससे पूर्व जमाव के आचरण से ज्ञात किया जा सकता है। यह प्रत्येक

[10] (1997) 3 SCC 747

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों से निकाला जाने वाला निष्कर्ष होता है।' वर्तमान मामले में जो कुछ हुआ है, वह ठीक वही है जिसकी परिकल्पना धारा 141 भारतीय दण्ड संहिता के स्पष्टीकरण में की गई है। खिमा नन्द के घायल होते ही स्थिति पूर्णतः उग्र हो गई। यह नारा लगाया गया कि डोमों को जलाकर मार दिया जाए, और ठीक वही हुआ। ग्रामीणों द्वारा विवाह दल पर आक्रमण किया गया। विवाह दल के छह सदस्यों को जला दिया गया, जिनमें से पाँच को गाँव के एकमात्र डोम निवासी के घर के भीतर बन्द कर दिया गया था, जिसका घर भी जला दिया गया। अन्य आठ व्यक्तियों का पीछा किया गया और फिर उन्हें निर्दयतापूर्वक पीट-पीटकर गाँव के अन्य स्थानों पर मार डाला गया। हम यह समझने में असमर्थ हैं कि इन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति इस निष्कर्ष पर कैसे पहुँच सकता है कि डोमों की हत्या के सामान्य उद्देश्य वाला कोई विधि विरूद्ध जमाव अस्तित्व में नहीं था, जबकि चौदह लोगों की हत्या लाठी या पत्थर से अधिक घातक किसी हथियार के प्रयोग के बिना की गई है। मृत व्यक्तियों पर पाई गई चोटों की संख्या को देखते हुए यह स्पष्ट है कि आक्रमण में बड़ी संख्या में व्यक्तियों ने भाग लिया होगा। भले ही ग्रामीणों का जमाव प्रारम्भ में विधिसम्मत रहा हो, किन्तु खिमा नन्द के घायल होने के पश्चात् जब दंगा आरम्भ हुआ, तो वह निस्संदेह अवैध बन गया। समस्त चक्षुदर्शी साक्षियों ने कहा है कि पचास या उससे अधिक ग्रामीणों ने आक्रमण में भाग लिया। जमाव के सदस्य कौन थे, इस पर बाद में विचार किया जाएगा, किन्तु यह उल्लेखनीय है कि घटना के प्रारम्भ के समय बड़ी संख्या में ग्रामीण लाठियों एवं डंडों से सुसज्जित होकर उपस्थित थे, और छह व्यक्तियों को जलाए जाने के अतिरिक्त, अन्य आठ व्यक्तियों को लाठियों, डंडों एवं पत्थरों के प्रहार से पीट-पीटकर मार डाला गया। इन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष को स्वीकार करना कठिन है कि आक्रमणकारियों का उद्देश्य समान था, किन्तु सामान्य उद्देश्य नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"31. यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि यह दर्शाने हेतु कुछ भी नहीं है कि सम्पूर्ण घटना के दौरान विधि विरूद्ध जमाव अस्तित्व में बना रहा। इस तर्क को स्वीकार करना सम्भव नहीं है, विशेषतः जब यह तथ्य सामने है कि गाँव में विवाह दल के केवल चौदह शव ही शेष रह गए थे। विवाह दल के वही सदस्य अपने प्राण बचा सके जो भाग निकलने में सफल हुए। वर्तमान प्रकरण में हम केवल इसी निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि एक विधि विरूद्ध जमाव था, जिसने विवाह दल पर आक्रमण किया और जिसका सामान्य

उद्देश्य उनकी हत्या करना था, तथा वे अपने इस प्रयत्न में काफी हद तक सफल भी हुए।"

32. विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य तथा उसके सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष कृत्य की आवश्यकता के प्रश्न पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **गंगाधर बेहरा एवं अन्य विरुद्ध उड़ीसा राज्य** [11]के प्रकरण में यह प्रतिपादित किया है कि सामान्य उद्देश्य से सम्बन्धित प्रत्यक्ष साक्ष्य सामान्यतः उपलब्ध नहीं होता है और उसे किए गए कृत्य तथा उससे उत्पन्न परिणामों से संकलित किया जाना होता है। इसी प्रकार, एक बार जमाव का गठन हो जाने पर, जमाव के प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रत्यक्ष कृत्य किया जाना आवश्यक नहीं है तथा ऐसा जमाव जो प्रारम्भ में विधिसम्मत हो, बाद में अवैध भी हो सकता है। उक्त निर्णय के कंडिका 22, 23 एवं 24 इस प्रकार हैं:–

"**22.** एक अन्य तर्क, जिस पर विशेष बल दिया गया, इस प्रश्न से सम्बन्धित है कि क्या धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता का प्रयोग प्रतिनिधिक दायित्व आरोपित करने के लिए किया जा सकता है, जो कि उसके संचालन हेतु अनिवार्य तत्व है। यहाँ बल सामान्य उद्देश्य पर है, न कि सामान्य आशय पर, मात्र विधि विरूद्ध जमाव में उपस्थिति किसी व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं ठहराती, जब तक कि कोई सामान्य उद्देश्य न हो तथा वह व्यक्ति उस सामान्य उद्देश्य से प्रेरित न हो और वह उद्देश्य धारा 141 में निर्दिष्ट उद्देश्यों में से कोई एक न हो। जहाँ विधि विरूद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य सिद्ध नहीं होता है, वहाँ अभियुक्तों को धारा 149 की सहायता से दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। निर्णायक प्रश्न यह है कि क्या जमाव पाँच या अधिक व्यक्तियों से मिलकर बना था तथा क्या उन व्यक्तियों ने धारा 141 में निर्दिष्ट एक या अधिक सामान्य उद्देश्यों को अपनाया था। यह विधि का कोई सामान्य सिद्धान्त नहीं कहा जा सकता कि जब तक किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जिसे विधि विरूद्ध जमाव का सदस्य बताया गया हो, कोई प्रत्यक्ष कृत्य सिद्ध न किया जाए, तब तक उसे जमाव का सदस्य नहीं माना जा सकता। आवश्यक केवल यह है कि उसे यह बोध हो कि जमाव अवैध था तथा वह धारा 141 के परिधि में आने वाले किसी कृत्य को करने की सम्भावना रखता था। 'उद्देश्य' शब्द का अर्थ प्रयोजन या अभिकल्प है और उसे 'सामान्य' बनाने के लिए उसका सभी द्वारा साझा किया जाना आवश्यक है। अन्य शब्दों में, उद्देश्य उन सभी व्यक्तियों के लिए समान होना चाहिए जो उस जमाव का गठन करते हैं, अर्थात् सभी उससे अवगत हों और उसमें सहमति रखते हों। सामान्य उद्देश्य आपसी परामर्श के पश्चात् स्पष्ट सहमति द्वारा भी निर्मित हो सकता है, किन्तु यह किसी भी प्रकार से

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[11] (2002) 8 SCC 381

अनिवार्य नहीं है। यह किसी भी चरण पर जमाव के सभी या कुछ सदस्यों द्वारा निर्मित किया जा सकता है और अन्य सदस्य उसमें सम्मिलित होकर उसे अपना सकते हैं। एक बार निर्मित हो जाने के पश्चात् यह आवश्यक नहीं कि वह वही बना रहे; इसे किसी भी चरण पर परिवर्तित, संशोधित अथवा त्यागा भी जा सकता है। धारा 149 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में' का कठोरता पूर्वक अर्थ 'सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए' के समतुल्य किया जाना चाहिए। वह उद्देश्य की प्रकृति के कारण सामान्य उद्देश्य से तत्काल रूप से सम्बद्ध होना चाहिए। उद्देश्य की सामुदायिकता होनी चाहिए और उद्देश्य केवल किसी विशेष चरण तक ही अस्तित्व में रह सकता है, उसके पश्चात् नहीं। विधि विरूद्ध जमाव के सदस्यों में किसी निश्चित बिन्दु तक उद्देश्य की सामुदायिकता हो सकती है, जिसके बाद उनके उद्देश्य भिन्न हो सकते हैं और सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में क्या किए जाने की सम्भावना है, इस सम्बन्ध में प्रत्येक सदस्य का ज्ञान न केवल उसके पास उपलब्ध सूचना पर, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करेगा कि वह उद्देश्य की सामुदायिकता को किस सीमा तक साझा करता है; और इसके परिणामस्वरूप धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता का प्रभाव एक ही जमाव के विभिन्न सदस्यों पर भिन्न-भिन्न हो सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. 'सामान्य उद्देश्य', 'सामान्य आशय' से भिन्न है, क्योंकि इसके लिए आक्रमण से पूर्व पूर्व-समन्वय या सामान विचारों की सहमति की आवश्यक नहीं होती। यह पर्याप्त है कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में वही उद्देश्य हो और उनकी संख्या पाँच या अधिक हो तथा वे उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जमाव के रूप में कार्य करें। किसी जमाव का 'सामान्य उद्देश्य' उसके सदस्यों के कृत्यों एवं भाषा से, तथा समस्त परिवेशगत परिस्थितियों के विचार से निर्धारित किया जाना चाहिए। इसे जमाव के सदस्यों द्वारा अपनाए गए आचरण की श्रृंखला से भी संकलित किया जा सकता है। किसी घटना के किसी विशेष चरण पर विधि विरूद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य क्या था, यह मूलतः तथ्य का प्रश्न है, जिसका निर्धारण जमाव की प्रकृति, उसके द्वारा वहन किए गए हथियारों तथा घटना-स्थल पर या उसके निकट सदस्यों के आचरण को दृष्टिगत रखते हुए किया जाना चाहिए। विधि के अधीन यह आवश्यक नहीं है कि विधि विरूद्ध जमाव के प्रत्येक मामले में, अवैध सामान्य उद्देश्य को अवश्य ही कार्यरूप में परिणत किया जाए अथवा वह सफल ही हो। धारा 141 के स्पष्टीकरण के अनुसार, जो जमाव अपने एकत्र होने के समय अवैध नहीं था, वह बाद में अवैध हो सकता है। यह भी आवश्यक नहीं है कि वह आशय/उद्देश्य, जो किसी जमाव को अवैध बनाने के लिए आवश्यक है,

प्रारम्भ में ही अस्तित्व में आ जाए। विधि विरुद्ध आशय के निर्माण का समय महत्वहीन है। जो जमाव अपने प्रारम्भ में या उसके कुछ समय बाद तक विधिसम्मत होता है, वह बाद में अवैध बन सकता है; अन्य शब्दों में, वह घटना के दौरान स्थल पर तत्क्षण विकसित हो सकता है।

24. धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता के दो भाग हैं। धारा का प्रथम भाग यह दर्शाता है कि सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में किया गया अपराध वही होना चाहिए जो सामान्य उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए किया गया हो। किसी अपराध को प्रथम भाग के अंतर्गत लाने के लिए आवश्यक है कि वह अपराध उस विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य से तत्काल रूप से सम्बद्ध हो, जिसका अभियुक्त सदस्य था। भले ही किया गया अपराध जमाव के सामान्य उद्देश्य की प्रत्यक्ष पूर्ति में न हो, तथापि वह धारा के द्वितीय भाग के अंतर्गत आ सकता है, यदि यह माना जा सके कि वह ऐसा अपराध था, जिसके किए जाने की सम्भावना से जमाव के सदस्य अवगत थे और यही धारा के द्वितीय भाग की अपेक्षा है। जिस प्रयोजन के लिए जमाव के सदस्य आगे बढ़े अथवा जिसे वे प्राप्त करना चाहते थे, वही उद्देश्य है। यदि सभी सदस्यों द्वारा वांछित उद्देश्य एक ही हो, तो उस उद्देश्य के अनुसरण का ज्ञान सभी सदस्यों द्वारा साझा किया जाता है और वे सामान्यतः इस बात पर सहमत होते हैं कि उसे किस प्रकार प्राप्त किया जाना है; यही तब जमाव का सामान्य उद्देश्य बन जाता है। उद्देश्य मानव मन में स्थित होता है और केवल मानसिक अवस्था होने के कारण उसका कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सकता और आशय की भाँति, उसे भी सामान्यतः व्यक्ति द्वारा किए गए कृत्य तथा उससे उत्पन्न परिणामों से ही संकलित किया जाना होता है। यद्यपि ऐसी परिस्थितियों के विषय में कोई कठोर एवं अपरिवर्तनीय नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता, जिनसे सामान्य उद्देश्य निकाला जा सके, तथापि उसे युक्तिसंगत रूप से जमाव की प्रकृति, उसके द्वारा वहन किए गए हथियारों तथा घटना-स्थल पर या उससे पूर्व अथवा पश्चात् उसके आचरण से संकलित किया जा सकता है। धारा के द्वितीय भाग में प्रयुक्त शब्द 'जानते थे' का अर्थ मात्र सम्भावना से अधिक है और इसे 'जान सकते थे' के अर्थ में नहीं लिया जा सकता, इसके लिए सकारात्मक ज्ञान आवश्यक है। जब कोई अपराध सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में किया जाता है, तो सामान्यतः वह ऐसा अपराध होगा, जिसके किए जाने की सम्भावना से विधि विरूद्ध जमावके सदस्य अवगत थे। तथापि, इससे इसका विपरीत निष्कर्ष सत्य नहीं हो जाता; ऐसे प्रकरण हो सकते हैं जो द्वितीय भाग के अंतर्गत आएँ, किन्तु प्रथम भाग के अंतर्गत न आएँ। धारा 149 के दोनों

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भागों के मध्य भेद को न तो अनदेखा किया जा सकता है और न ही मिटाया जा सकता है। प्रत्येक प्रकरण में यह एक विचारणीय प्रश्न होगा कि किया गया अपराध प्रथम भाग के अंतर्गत आता है या वह ऐसा अपराध था, जिसके किए जाने की सम्भावना से जमाव के सदस्य अवगत थे और जो द्वितीय भाग के अंतर्गत आता है। तथापि, ऐसे प्रकरण भी हो सकते हैं जो प्रथम भाग के अंतर्गत हों सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में किए गए अपराध सामान्यतः यदि सदैव नहीं, तो द्वितीय भाग के अंतर्गत भी होंगे, अर्थात् ऐसे अपराध जिनके किए जाने की सम्भावना से पक्षकार अवगत थे। (देखें: **चिक्कारंगे गौड़ा विरुद्ध मैसूर राज्य**, AIR 1956 SC 731 : 1956 Cri LJ 1365)।

33. उपर्युक्त प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के आलोक में, विधि विरूद्ध जमावके गठन के लिए पाँच या पाँच से अधिक सदस्यों का होना आवश्यक है तथा उनका सामान्य उद्देश्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 141 में परिकल्पित अपराध के किए जाने से सम्बन्धित होना चाहिए। कोई जमाव जो प्रारम्भ में विधिसम्मत रूप से गठित हुआ हो, किसी भी क्षण विधि विरूद्ध जमाव में परिवर्तित हो सकता है। सामान्यतः विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य से सम्बन्धित प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध होना सम्भव नहीं होता। इसे विधि विरूद्ध जमावद्वारा किए गए कृत्य से अनुमानित किया जा सकता है और यदि ऐसे कृत्य के परिणाम से यह एक बार सिद्ध हो जाए कि विधि विरूद्ध जमाव का गठन हो चुका था, तो विधि विरूद्ध जमावके किसी भी सदस्य द्वारा कोई प्रत्यक्ष कृत्य या सक्रिय सहभागिता सिद्ध किया जाना आवश्यक नहीं रहता। ऐसे सभी सदस्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 149 के अनुसार, किसी सदस्य द्वारा किए गए कृत्य या अपराध के लिए उत्तरदायी होंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

34. विधि विरूद्ध जमावके गठन से सम्बन्धित उपर्युक्त प्राधिकृत निर्णयों में प्रतिपादित विधि के आलोक में, हमने अभियोजन की ओर से विधि विरूद्ध जमावके गठन तथा उसके सामान्य उद्देश्य के सम्बन्ध में प्रस्तुत साक्ष्य का सूक्ष्म परीक्षण किया है। वर्तमान प्रकरण में अभियोजन द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रदर्शित हो कि उक्त अपराध के किए जाने से पूर्व वर्तमान अपीलकर्ता किसी स्थान पर एकत्र हुए हों अथवा अपराध के लिए कोई बैठक आहूत की गई हो। दोनों पक्षों के मध्य शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध थे। इन परिस्थितियों में हम इस तथ्य से भी अवगत हैं कि शत्रुता रखने वाले पक्षों में प्रतिद्वन्द्वी समूह को फँसाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। वर्तमान प्रकरण में, आ.सा 3 डॉ. एस.एन. चंदेल के साक्ष्य के अनुसार, कपिल के शरीर पर कुल 14 चोटें पाई गईं, जिनमें घातक चोट भी सम्मिलित थी, तथा गर्दन का पर्याप्त रूप से कट जाना पाया गया। आ.सा 7 धर्मू, आ.सा 8 भगवत बाई, आ.सा 9 बाबूलाल, आ.सा 10 हरि प्रसाद एवं आ.सा 11 राजनू ने यह बयान

दिया है कि उन्होंने घटना को देखा, किन्तु उन्होंने न तो हस्तक्षेप करने का प्रयास किया और न ही कपिल को बचाने का कोई प्रयास किया।

35. उनके साक्ष्य के अनुसार, सर्वप्रथम कपिल मवेशियों को लेकर गोठान गया था। कपिल के एक मवेशी से अपीलकर्ता चन्द्रा के घर के दरवाजे के सामने कुछ अव्यवस्था उत्पन्न हुई। तत्पश्चात् कपिल उसी मार्ग से अपने घर वापस आ रहा था। अपीलकर्ता अमरिका बाई ने उसे गालियाँ दीं जब कपिल ने आपत्ति की, तब उसने कहा कि वह उसके पैर छुएगी (पैर पड़ती हूँ), और इसके बाद उसने कपिल की कमर पकड़ ली। तत्पश्चात् सभी अपीलकर्ता एक-एक कर घर से बाहर आए; उनके हाथों में फरसा, फरसा, लाठी तथा भाला था और उन्होंने कपिल पर प्रहार किया। इन साक्षियों के कथनों से यह प्रकट होता है कि अभियुक्तों का घर गोठान जाने वाले मार्ग पर स्थित है और घटना से कुछ ही समय पूर्व, कपिल द्वारा मवेशियों को गोठान ले जाते समय हुई असुविधा के कारण अपीलकर्ता खिन्न हो गए थे। सभी अपीलकर्ताओं की अपने घर में उपस्थिति अस्वाभाविक नहीं थी उनके घर में हथियारों का होना भी असम्भव नहीं कहा जा सकता, किन्तु जिस समय कपिल गोठान से वापस आ रहा था और अपीलकर्ताओं के घर के सामने से गुजर रहा था, उसी समय अमरिका बाई द्वारा कपिल को पकड़ लिया जाना तथा तत्पश्चात् अपीलकर्ताओं द्वारा घातक हथियारों से उस पर प्रहार किया जाना, घटना के घटित होने से पूर्व मस्तिष्कों की समान बैठक को प्रदर्शित करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

36. प्रतिरक्षा पक्ष ने इन साक्षियों का विस्तार से प्रतिपरीक्षण किया है। उनके कथनों में कुछ लोप तथा विरोधाभास अवश्य हैं, किन्तु वे अपने इस कथन पर अडिग रहे हैं कि अपराध मवेशियों द्वारा उत्पन्न की गई गड़बड़ी के कारण घटित हुआ तथा अभियुक्तगण, जिनमें वर्तमान अपीलकर्ता बैसाखू, बिहारी, चन्द्रा एवं अमरिका बाई सम्मिलित हैं, अपने घर से बाहर आए अमरिका बाई को छोड़कर शेष सभी के हाथों में घातक हथियार थे। अमरिका बाई ने कपिल को पकड़ लिया और तत्पश्चात् शेष अभियुक्तों ने उस पर क्रूरतापूर्वक प्रहार किया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी तत्क्षण मृत्यु हो गई।

37. वर्तमान प्रकरण में अपीलकर्ता अमरिका बाई के पास कोई हथियार नहीं था, किन्तु उसने मृतक को गालियाँ देकर वातावरण बनाया तथा अन्य अभियुक्तों को घातक चोटें पहुँचाने में सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मृतक को पकड़कर प्रमुख भूमिका निभाई, जिससे मृतक स्वयं को बचाने या घटना-स्थल से निकलने में असहाय हो गया। इन साक्षियों का साक्ष्य स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि अभियुक्तों के हाथों में फरसा, फरसा, नुकीला भाला, लाठी जैसे घातक हथियार थे और एक ऐसे व्यक्ति को, जो स्वयं को बचाने की स्थिति में नहीं था, कुल 14 घातक चोटें पहुँचाई गईं। यह ऐसा प्रकरण नहीं है कि मृतक जानबूझकर अपीलकर्ताओं के घर गया हो और घटना को प्रारम्भ करने हेतु कोई गड़बड़ी की हो; अपितु वह गोठान गया था और गोठान से अपने घर लौट रहा था, जो उसके

दैनिक कार्य को दर्शाता है। अपीलकर्ता संख्या में पाँच से अधिक थे, उनके हाथों में घातक हथियार थे, उन्होंने मृतक को अनेक घातक चोटें पहुँचाईं। यह प्रतिरक्षा का भी कोई मामला नहीं है कि उपर्युक्त अपीलकर्ताओं में से कुछ ने चोट पहुँचाई हो और कुछ केवल दर्शक रहे हों, या किसी ने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया हो, अथवा कुछ अपीलकर्ता केवल पड़ोसी हों जो झगड़े की आवाज़ सुनकर घटना देखने के लिए एकत्र हुए हों बल्कि यह तथ्य कि वे घर से बाहर आए और अपराध कारित किया, कपिल की हत्या, जो कि हत्या हत्या की कोटि में अन्य वाला दाण्डिक मानव वध है, करने की उनकी गंभीर आशय को दर्शाता है, और उन्होंने अपने क्रूर कृत्य से कपिल को 14 चोटें पहुँचाकर उसकी हत्या की।

38. ये साक्ष्य यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त हैं कि सभी अपीलकर्ताओं ने कपिल की हत्या की कोटि में आने वाला दाण्डिक मानव वध के सामान्य उद्देश्य से एक विधि विरूद्ध जमाव का गठन किया था। वे घातक हथियारों से सुसज्जित थे और सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में विधि विरूद्ध जमाव के सभी सदस्यों ने कपिल को चोटें पहुँचाईं, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। घटना प्रातः लगभग 8 बजे घटित हुई अमरिका बाई को छोड़कर शेष लगभग 13 व्यक्ति घातक हथियारों से सुसज्जित थे और उन्होंने मृतक को बार-बार 14 घातक चोटें पहुँचाईं। इन परिस्थितियों में, जो व्यक्ति हथियारों से सुसज्जित नहीं थे तथा संख्या में कम थे और जिनके पास पर्याप्त समर्थन नहीं था, वे अपने जीवन को जोखिम में डाले बिना घटना में हस्तक्षेप करने या मृतक को बचाने में सक्षम नहीं थे। अतः केवल इस आधार पर कि उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया या मृतक को बचाने का प्रयास नहीं किया, उनके साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

39. बचाव पक्ष ने अन्यत्र उपस्थिति के प्रतिरक्षा से सम्बन्धित साक्ष्य के रूप में आ.सा 1 भीखम चन्द्रा, आ.सा 2 भानु, आ.सा 3 भगवान दास एवं आ.सा 4 राजबहोर तिवारी को भी परीक्षित किया है, जिनके सन्दर्भ में अभियुक्त शिव प्रसाद को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है। उपर्युक्त साक्षियों का साक्ष्य विश्वास प्रेरित करने वाला एवं विश्वसनीय है।

40. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का मूल्यांकन करने तथा अभियुक्तों की प्रतिरक्षा पर विचार करने के उपरान्त, विद्वान पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं को भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 302/149, 147 एवं 148 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया है। यह दोषसिद्धि ठोस, विधिसंगत एवं विश्वसनीय साक्ष्य पर आधारित है, जो विधि के अधीन टिकाऊ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दण्डादेश पारित करते समय पर्याप्त दण्ड दिया गया है और दोषसिद्धि एवं दण्डादेश पारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने कोई अवैधता नहीं की है।

41. उपर्युक्त कारणों के फलस्वरूप, यह दाण्डिक अपील निराधार है। परिणामस्वरूप, यह दाण्डिक अपील निरस्त किए जाने योग्य है और एतद्द्वारा ख़ारिज की जाती है।

42. वर्तमान अपीलकर्तागण बैसाखू, बिहारी, चन्द्रा एवं अमरिका बाई जमानत पर हैं। वे सत्र विचारण क्रमांक 62/90 में दिनांक 11/6/93 के निर्णय द्वारा आरोपित शेष दण्ड को भोगने के लिए तत्काल पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर अथवा उनके पदाधिकारी उत्तराधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे।

सही/–

टी. पी. शर्मा

न्यायाधीश

सही/-

आर. एल. झंवर

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By Advocate Shraddha Raj Jyotishi.